ऑन लाईन नं.RCMS2022/298

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 40/2022

श्री.विशाल मित्तल खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एव मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री हिमांशु मित्तल पुत्र श्री सुधीर कुमार —खाद्य कारोबारकर्ता एवं भागीदार—
मै0 रॉयल सुपर सेल्स, शॉप नम्बर डी–13, बड़ा बाजार, श्रीगंगानगर।
2. श्री सुधीर कुमार —खाद्य कारोबारकर्ता एवं भागीदार—
मैसर्स रॉयल सुपर सेल्स, शॉप नम्बर डी–13, बड़ा बाजार, श्रीगंगानगर।
3. मैसर्स रॉयल सुपर सेल्स, शॉप नम्बर डी–13, बड़ा बाजार, श्रीगंगानगर।
4. श्री गुरप्रीत सिंह —निदेशक—
मैसर्स जीवों वैलनेस प्रा.लि. प्लॉट नम्बर102–103, फेज–4, सेक्टर 57 एचएसआईआईडीसी, कुण्डली, सोनीपत, हरियाणा–131028
5. श्री चरणजीत कौर —निदेशक—
मैसर्स जीवों वैलनेस प्रा.लि. प्लॉट नम्बर102–103, फेज–4, सेक्टर 57 एचएसआईआईडीसी, कुण्डली, सोनीपत, हरियाणा–131028
6. **मैसर्स जीवों वैलनेस प्रा.लि. प्लॉट नम्बर102–103, फेज–4, सेक्टर 57 एचएसआईआईडीसी, कुण्डली, सोनीपत, हरियाणा–131028**

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(2)/51

निर्णय दिनांक : 06.01.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री विशाल मित्तल खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 26.07.2011 के गजट में भाग 2(क) पर प्रकाशित हुआ है एवं निदेशालय के आदेश क्रमांकःएच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 द्वारा केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर में पदस्थापित है। परिवादी का स्थानीय क्षेत्र समस्त राजस्थान राज्य का है जिसका गजट नोटिफिकेशन दिनांक 11.04.2012 के गजट में भाग 2 (क) पर प्रकाशित हुआ है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

श्री विशाल मित्तल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.06.2022 को दोपहर बाद 2.00 पीएम पर मै0 रॉयल सुपर सेल्स, शॉप नम्बर डी–13, बड़ा बाजार, श्रीगंगानगर पर पहुंचें। वहा हिमांशु मित्तल पुत्र श्री सुधीर कुमार उपस्थित मिला जिसने खुद को खाद्य कारोबारकर्ता

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

एवं भागीदार होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र , जीएसटी रजि., स्वयं व गवाह के आधार कार्ड तथा आगामी खरीद बिल की स्वहस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्तुत कि जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षणा करने पर पाया कि आम जनता के विकय हेतु उपलब्ध **Olive oil (JIVO)** के 1 लीटर के 5 कार्टुन, (प्रत्येक कार्टुन में 16 बोतल) रखे है के अमानक का शक होने पर 1लीटर की 4 बोतलें **Olive oil (JIVO)** खाद्यकारोबारकर्ता एंव भागीदार श्री हिमांशु मित्तल को सूचित करते हुए वास्ते नमूने जांच खरीदा, जिसकी कीमत श्री हिमांशु मित्तल को 1280/ – रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्यकारोबारकर्ता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खरीद रसीद मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 05 ए प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री हिमांशु मितत्तल पुत्र श्री सुधीर कुमार, एवं गवाहन ने पढकर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता श्री हिमांशु मित्तल को देकर असल रसीद प्राप्त की । फार्म नम्बर 5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **Olive oil (JIVO)** 1 लीटर की 4 बोतल के चारों नमूना भागों पर लेबल चिपकायें एवं उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक **K-1522** एवं अन्य विवरण दर्ज किया ओर लेबलों पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवायें तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवा कर प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटा और कागज के सिरों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूनाभाग पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा स्लिप कोड अनुक्रमांक **K-1522** को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं विशाल मित्तल खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्ता हिमांशु मित्तल ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

ऑन लाईन नं.RCMS2022/298

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः-एलएस/731/एक्ट/2022/731 दिनांक 24.06.2022 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **के-1522 Olive oil (JIVO) अमानक स्तर** Sub-Standard Food होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त विजय कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश बंसल **मै0** रॉयल सुपर सेल्स, शॉप नम्बर डी-13, बड़ा बाजार, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(2)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 01.12.2022 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी सरकुल रोड़ अबोहर तहसील अबोहर जिला फाजिलका (पंजाब) का रहने वाला है। प्रार्थी मैसर्स रायल सुपर सैल्स दुकान नम्बर डी-13 बड़ा बाजार श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 1874/2022 दिनांक 06.12.2022 को दिया है कि आपकी दुकान में **Olive oil (JIVO)** की जांच की गई तो **Olive oil (JIVO)** - Sub-Standard Food पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त **Olive oil (JIVO)** में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। लिहाजा जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनातें हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Olive oil (JIVO)** का सैम्पल **के-1522** जांच रिपोर्ट क्रमांकः-एलएस/731/एक्ट/2022/731 दिनांक 24.06.2022 द्वारा Sub-Standard Food होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(2)/51 उल्लंघन किया है तथा जुर्माने योग्य अपराध है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 निर्धारित है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि प्रार्थी सरकुल रोड़ अबोहर तहसील अबोहर जिला फाजिलका (पंजाब) का रहने वाला है। प्रार्थी मैसर्स रायल सुपर सैल्स दुकान नम्बर डी-13 बड़ा बाजार श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 1874/2022 दिनांक 06.12.2022 को दिया है कि आपकी दुकान में **Olive oil (JIVO)** की जांच की गई तो **Olive oil (JIVO)** - Sub-Standard Food पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त **Olive oil (JIVO)** में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। लिहाजा जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनातें हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "**Olive oil (JIVO)"Code No and Sr. No. K-1535 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-standard Food as it does not Conform to the prescribed Standard of Food Safety and standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations. 2011** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त को एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 31(1)के तहत जुर्माने से दण्डित किये जाने के अन्तर्गत राशि रूपये 5,000–00 (अखरे रूपये पांच हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त **Olive oil (JIVO)** का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **Olive oil (JIVO)** के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(डा. हरीतिमा)
अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर